



भारतीय ज्ञान संपोषण केन्द्रम्-1

आईकेएस केंद्र प्रस्ताव कार्यक्रम 2022-2023

आवेदन और अनुदेश

केंद्र प्रस्ताव कार्यक्रम का विहंगावलोकन	पृष्ठ 2
प्रस्ताव तैयार करना और अर्हता मानदंड	पृष्ठ 5
कोटिकरण मानदण्ड	पृष्ठ 7
प्रस्ताव मार्गदर्शन	पृष्ठ 8
प्रस्ताव के टेम्पलेट	पृष्ठ 9-14

महत्वपूर्ण तिथियाँ

कार्यक्रम की घोषणा	31 अगस्त, 2022
प्रस्तावों की देय तारीख	30 अक्टूबर, 2022
चयन की घोषणा	नवम्बर 2022 के अंत में
वित्त-पोषण उपलब्धि	दिसंबर 2022 के मध्य में
प्रगति प्रतिवेदन (रिपोर्ट) देय तिथि	1 जुलाई, 2023
परियोजना की मध्यावधि समीक्षा	दिसंबर 2023
अंतिम प्रतिवेदन देय तिथि	31 दिसंबर, 2024

हमसे संपर्क करें: ई-मेल: ikscenters@aicte-india.org दूरभाष:011 29581523

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट:<https://iksindia.org/iks-center-form.php>

आईकेएस प्रभाग के बारे में

अधिकांश ज्ञात इतिहास के लिए एक जीवंत एवं पुरातन सभ्यता, जो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान एवं विनिर्माण का वैश्विक केंद्र थी। एक ऐसी संस्कृति, जिसने मानवता के समस्त आयामों के विकास पर बल दिया एवं परस्पर सद्भाव के साथ-साथ पर्यावरण एवं इसके विस्तृत स्वरूप अर्थात् ब्रह्मांड के साथ भी मनुष्य का एकात्म भाव जागृत किया। विश्व भर के सामयिक घटनाक्रम भलीभांति स्पष्ट कर रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रारूप विकृत एवं प्रकृति विरुद्ध है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण विश्व भर में बढ़ती असमानताएं विकास के नवीन प्रतिमानों की प्रबल आवश्यकता की ओर इंगित करती हैं।


“वसुधैव कुटुम्बकम्” के उदार भाव से ओतप्रोत भारतीय ज्ञान परम्परा) आईकेएस (एकमात्र भारतीय पद्धति है जो समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी है। एआईसीटीई स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग का प्रमुख ध्येय विद्यार्थी पीढ़ियों के लिए ऐसी प्रशिक्षण प्रक्रिया का प्रारम्भ करना है कि वे समस्त विश्व का परिचय भारतीय पद्धतियों से करा सकें। यदि हम इस शताब्दी में स्वयं को 'विश्व गुरु' के रूप में प्रस्तुत चाहते हैं, तो अत्यावश्यक है कि हम अपनी पारंपरिक धरोहर को जाने एवं विभिन्न कार्यों के निष्पादन की 'भारतीय पद्धति' से देश ही नहीं, समस्त विश्व को अवगत कराएं। इसी दृष्टिकोण के साथ शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग की स्थापना एआईसीटीई में की गयी थी, जो भारतीय ज्ञान परम्परा के समस्त पक्षों पर अंतर्विषयक एवं संघीय-अंतर्विषयक) ट्रांस इंटरडिसिप्लिनरी (अनुसंधान का अभिवर्धन करने तथा आगामी शोध एवं सामाजिक अनुप्रयोगों के निमित्त आईकेएस से सम्बद्ध ज्ञान का संरक्षण एवं प्रसार करने हेतु प्रयासरत है।

आईकेएस प्रभाग के कार्य :

- 1) विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों सहित भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए आईकेएस आधारित अंतर्विषयक एवं संघीय अंतर्विषयक कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, इसे सुगम करना साथ ही निजी क्षेत्र के संगठनों को इससे जुड़ने हेतु प्रेरित करना।
- 2) संस्थानों, केंद्रों तथा व्यक्तिगत रूप से शोधरत, शोधकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए विषयवार अंतर्विषयक अनुसंधान समूहों की स्थापना, मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करना।
- 3) लोकप्रचार योजनाओं का निर्माण एवं प्रोत्साहन देना।
- 4) विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना एवं अनुसंधान करने हेतु तंत्र विकसित करना।
- 5) आईकेएस के उन्नयन के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, नीतियों की अनुशंसा करना।

आईकेएस केंद्र प्रस्ताव कार्यक्रम – एक दृष्टि

आईकेएस केंद्र कार्यक्रम देश भर में आईकेएस केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्त-पोषित करने के लिए तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य आईकेएस ज्ञान के मौलिक शोध, शिक्षण और प्रचार-प्रसार को उत्प्रेरित करना है। आईकेएस केंद्रों का लक्ष्य देश के विभिन्न भागों में शोध, शिक्षा और संपर्क क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। आईकेएस क्रियाकलाप वर्तमान में देश में कई स्थानों में फैले हुए हैं। इन प्रयासों पर प्रयाप्त ध्यान केंद्रित करने के लिए देश में पारंपरिक विद्यालयों और एसटीईएम शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे केंद्र स्थापित करने की महती आवश्यकता है। यह पहल इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करेगी। प्रत्येक आईकेएस केंद्र में तीन आधार-स्तंभ होते हैं, अर्थात्: 1. अनुसंधान स्तंभ, 2) शिक्षा और परामर्श स्तंभ और 3) संपर्क और प्रचार-प्रसार स्तंभ (चित्र 1)। आईकेएस केंद्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रदेशों और उद्देश्यों को अपने इन सभी तीन स्तंभों के आसपास केंद्रित रखें। प्रत्येक केंद्र को नीचे वर्णित 2-4 विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।



चित्र 1. आईकेएस केंद्र की अवधारणात्मक संरचना

विषयगत क्षेत्र: आईकेएस प्रभाग को आईकेएस केंद्रों के लिए प्रेषित किए गए प्रस्तावों से अपेक्षा की जाती है कि उनमें रुचि के निम्नलिखित क्षेत्रों में से दो-चार क्षेत्रों का चयन किया गया हो। रुचि के इन क्षेत्रों को भारत की सभी भाषाओं जैसे तमिल, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, आदि में संपोषित किया जाता है। ज्ञान प्रणालियों को अनेक पाठ्य, मौखिक परंपराओं और कुलपरम्पराओं में परिरक्षित किया गया है। प्रचलित हैं और आदिवासी परंपराओं को शामिल करते हैं। चुने गए ये विषय सभी लोगों के लिए, हर समय और सभी स्थानों पर प्रासंगिक हैं।

1. समग्र्यात्मक चिकित्सा और कल्याण
2. भारतीय मनोविज्ञान और योग
3. अर्थशास्त्र, शासन और राजनीतिक प्रणालियों के लिए आईकेएस आधारित दृष्टिकोण
4. प्रबंधन और नेतृत्व के लिए आईकेएस आधारित दृष्टिकोण
5. विधि और न्यायशास्त्र के लिए आईकेएस आधारित दृष्टिकोण
6. कलात्मक परंपराओं के लिए आईकेएस आधारित दृष्टिकोण
7. दार्शनिक परंपराओं के लिए आईकेएस आधारित दृष्टिकोण
8. जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए आईकेएस दृष्टिकोण
9. जैव-विविधता परिरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण के लिए आईकेएस दृष्टिकोण

10. भारतीय खेल और मार्शल आर्ट
11. वास्तुकला इंजीनियरिंग, नगर आयोजना, सिविल इंजीनियरिंग, वास्तु और शिल्प शास्त्र
12. सतत कृषि और खाद्य संरक्षण के तरीके
13. अभिनव सामग्री, धातु विज्ञान और भौतिक विज्ञान
14. प्रेक्षणमूलक खगोलविज्ञान एवं कैलेंडर प्रणालियां
15. पोत निर्माण, नौवहन और सामुद्रिक परंपराएं
16. भारतीय गणित, क्षेत्रमिति और खगोलविज्ञान
17. भारत में रसायनविज्ञान
18. भारत में भौतिकी
19. भारत में प्राणिविज्ञान और वनस्पतिविज्ञान
20. पांडुलिपियों का संरक्षण और प्रलेखन

उपलब्ध वित्त-पोषण: आईकेएस केंद्रों का समर्थन करने के लिए उपलब्ध धनराशि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई विवेकाधीन निधि होती है जिससे आईकेएस प्रभाग के क्रियाकलापों को सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम के लिए उपलब्ध धन का स्तर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। आईकेएस प्रकोष्ठ दो वर्षों के लिए 20-40 लाख तक के वित्त-पोषण स्तर के साथ देश भर में आईकेएस केंद्र स्थापित करेगा।

आईकेएस केन्द्रों के वित्त-पोषण के लिए लक्ष्य: हमारा लक्ष्य उत्प्रेरक अनुदान प्रदान करना है जो भारत में आईकेएस शोध को फिर से जीवंत बनाने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों में मौलिक, गंभीर और गहन विद्वतापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक आईकेएस केंद्र से कम-से-कम दो और अधिकतम चार विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है। ध्यान-केंद्रित क्षेत्रों की पहचान किए बिना सामान्यीकृत केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों को पर्याप्ततः हतोत्साहित किया जाता है और उन्हें समीक्षा प्रक्रिया के पहले चरण में खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे शोध को वित्त-पोषित करना जिससे अंततः व्यावहारिक उत्पादों या प्रथाओं की उत्पत्ति हो सकती है या जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा प्राप्त होती है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। **भावी पीढ़ी के विद्वानों को प्रशिक्षित और संपोषित करने के उद्देश्य से छात्रों, युवा संकाय को शामिल करने के प्रयास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।**

सहयोग की प्रकृति: प्रत्येक आईकेएस प्रकोष्ठ को जनशक्ति (शोध फेलो, परियोजना एसोसिएट्स और इंटर्न), आपूर्तियों, सुविधाओं और विविध व्ययों के लिए वित्त-पोषण के साथ सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस वित्त-पोषण के माध्यम से नए स्थापित हुए प्रकोष्ठ में आईकेएस क्रियाकलापों को तेजी के साथ आरम्भ किए जाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी शोध वित्त-पोषण, प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए तैयार करने, इंटर्न को परामर्श देने तथा संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है।

आईकेएस केंद्र मूल्यांकन: आईकेएस केंद्रों की सफलता की निगरानी प्रधान अन्वेषकों (पीआई) की त्रैमासिक अनुवर्ती-कार्रवाई रिपोर्ट और केंद्रों के क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से की जाएगी। परियोजना के

परिणामों को आईकेएस प्रभाग की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाएगा जिससे कि आईकेएस समुदाय के मध्य इन परिणामों को प्रचारित-प्रसारित करने में मदद मिल सके। आईकेएस केंद्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मेट्रिक्स में प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों की संख्या, प्रकाशित शोध पत्र, सहकर्मी-समीक्षित साहित्य में प्रकाशन, लोकप्रिय लेख, छात्र प्रशिक्षण और परामर्श, संकाय विकास कार्यशालाएं, प्रकाशित मोनोग्राफ पाठ्यपुस्तकें शामिल होंगी तथा इसके अलावा अन्य उपयुक्त मेट्रिक्स भी शामिल होंगे जिन्हें पीआई को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। **आईकेएस प्रभाग उस स्थिति में वित्त-पोषण को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि पहले वर्ष के बाद किसी आईकेएस केंद्र में कोई संतोषजनक प्रगति (जैसा कि स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा द्वारा इंगित किया गया है) नहीं पाई जाती है।**

प्रस्ताव अर्हता मानदण्ड/उन्हें निर्मित एवं प्रस्तुत करने सम्बंधित अनुदेश

अभातशिप स्थित शिक्षा मंत्रालय का आईकेएस प्रभाग भारतीय ज्ञान प्रणालियों में कार्य करने वाले संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है। किसी सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था (निजी/सार्वजनिक) और किसी सरकारी विभाग में कार्यरत संकाय सदस्य आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस अनुदान हेतु पात्र होने के लिए, गैर-सरकारी संगठन/न्यास/प्रतिष्ठान **पूर्णतः** भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में **कार्य करने वाला** होना चाहिए। **संस्थागत संबद्धता न रखने वाले स्वतंत्र शोधकर्ता आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।** ऐसे शोधकर्ता जिन्हें पूर्व के चक्रों में शोध प्रस्ताव कार्यक्रम/आईकेएस केंद्र कार्यक्रम के माध्यम से आईकेएस प्रभाग द्वारा वित्त-पोषित किया गया है, प्रधान अन्वेषक या सह-प्रधान अन्वेषक के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि वे एक सहयोगी के रूप में शामिल हो सकते हैं।

सर्वोत्तम शोध के लिए वित्त-पोषण हमारी प्राथमिकता है। जब प्रस्तावों को समान अंक प्रदान किए जाते हैं, तो हम सहायक प्रोफेसरों, सहयोगी प्रोफेसरों और प्रोफेसरों को (इस क्रम में) प्राथमिकता देते हैं। **एक संस्थान केवल एक आईकेसी केंद्र प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी संस्थान से कई आईकेएस केंद्र प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो सभी प्रस्तावों को समीक्षा के बिना ही खारिज कर दिया जाएगा।** प्रस्ताव आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में या अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. आईकेएस केंद्र प्रस्ताव (वों) को 2-4 विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आईकेएस के शोध मिशन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
2. **यह अनिवार्य अपेक्षा है कि दल में कम-से-कम एक व्यक्ति (पीआई या सह-पीआई या सहयोगी) होना चाहिए जो किसी सहायता या अनुवाद के बिना प्राथमिक पाठ पढ़ सके।**
3. संयुक्त, अंतर्विषयक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और प्रोत्साहित किया जाता है।
4. विशिष्ट परियोजनाओं को दो वर्ष के लिए 10-20 लाख रुपये (कुल राशि) की सीमा में वित्त-पोषित किया जाएगा। कुछ मामलों में, जहां प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, उच्च स्तर के वित्त-पोषण पर विचार किया जाएगा। लेकिन किसी भी मामले में, दो वर्ष की अवधि में अधिकतम अनुदान 40 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना को **31 दिसंबर 2024 से पहले पूरा** कर लिया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी समयावधि आगे नहीं बढ़ाई जाती है।

6. प्रस्ताव जमा करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर, 2022 को रात्रि 11:59 बजे तक है और इन्हें केवल ऑनलाइन पोर्टल (iksindia.org) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के किसी अन्य रूप पर विचार नहीं किया जाएगा। विलंब से प्राप्त हुए प्रस्तावों को किसी भी कारण से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. आईकेएस प्रभाग समीक्षा पैनल को उन प्रस्तावों को नामांकित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो आंतरिक समीक्षा द्वारा यथानिर्धारित आईकेएस प्रभाग के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। नामांकित प्रस्तावों पर समान आधार पर विचार किया जाएगा और अन्य प्रस्तावों की तरह समान समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा।
8. अवार्डों की घोषणा की जाएगी, और धनराशि दिसंबर 2022 की शुरुआत में उपलब्ध होगी।
9. प्रगति रिपोर्टें 1 जुलाई 2023, 31 दिसंबर, 2023 और 1 जुलाई 2024 को देय हैं। परियोजना में किए गए शोध की समीक्षा एक वर्ष के अंत (दिसंबर, 2023) में एक समिति द्वारा की जाएगी। अनुकूल अनुशंसाओं के आधार पर ही भविष्य में अनुदान दिया जाएगा।
10. अंतिम रिपोर्टें 31 दिसंबर 2024 को देय हैं। आईकेएस प्रभाग अनुरोध करता है कि एक विस्तृत रिपोर्ट के अलावा प्रत्येक रिपोर्ट के साथ 300 शब्दों में जनसाधारण की भाषा में सारांश (जो वेबपेज पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने के लिए उपयुक्त हो) और आपके कार्य के अनेक छायाचित्र भी प्रस्तुत करें। इनका उपयोग आईकेएस की वार्षिक रिपोर्ट या हमारी वेबसाइट पर किया जा सकता है।
11. प्रस्ताव के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपके प्रस्ताव की समीक्षा नहीं की जाएगी या उसका वित्त-पोषण नहीं किया जाएगा:
- कृपया उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव टेम्पलेट का उपयोग करें। यदि आप इस दस्तावेज़ के अंत में वर्जन का उपयोग करते हैं, तो आपको पृष्ठ संख्या और मार्जिनों को व्यवस्थित करना होगा।
 - उपलब्ध कराए गए हस्ताक्षर पृष्ठ का उपयोग करें और इसे अपने दस्तावेज़ में एक अलग पृष्ठ बनाएं।
 - उपलब्ध कराए गए आवरण पृष्ठ को पूर्ण करें। इसे अपने दस्तावेज़ में एक अलग पृष्ठ बनाएं।
 - प्रस्ताव का आकार दस (10) पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। कृपया अपना प्रस्ताव स्पष्ट और सरल भाषा में लिखें। संदर्भों को तब तक सूचीबद्ध न करें जब तक उन्हें उद्धृत न किया गया हो।
 - सभी ओर 1-इंच का मार्जिन रखें, सिंगल लाइन स्पेसिंग दें और कम-से-कम 11-प्वाइंट के फॉन्ट का प्रयोग करें।
 - यदि आप पृष्ठ संख्या का उपयोग करते हैं, तो उसे नीचे मध्य में अंकित करें।
 - किसी पूर्ण प्रस्ताव में निम्नलिखित पृथक दस्तावेज शामिल होते हैं (केवल पीडीएफ के रूप में):

- दस्तावेज 1: आवरण पृष्ठ
- दस्तावेज 2: प्रस्ताव वर्णन
- दस्तावेज 3: बजट पृष्ठ
- दस्तावेज 4: पीआई और सह-पीआई के जीवन-वृत्त
- दस्तावेज 5: पीआई के हस्ताक्षर और संस्था के अनुमोदन के पृष्ठ
- प्रत्येक दस्तावेज फाइल <10 एमबी होनी चाहिए।
- जब आपका प्रस्ताव अंतिम हो जाता है, तो इसे BGSKendram1_YOURLASTNAME पर इस नेमिंग फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल के रूप में सेव करें।

12. प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- कृपया आईकेएस प्रभाग की वेबसाइट का अवलोकन करें और यहां विवरण भरें: iksindia.org
- अपनी पीडीएफ प्रस्ताव फाइलें अपलोड करें (<10 एमबी) और फिर सबमिट बटन दबाएं।
- यदि आपका प्रस्तुत किया जाना वेब सिस्टम में सफल रहा है, तो दो दिनों के भीतर एक अधिसूचना भेजी जाएगी जिसमें आपको सफल प्रस्तुतीकरण की सूचना दी जाएगी। यदि आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लेकिन ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कृपया आईकेएस प्रभाग से संपर्क करें।

13. बजट वितरण:


- दो वर्षों में आईकेएस केंद्रों के लिए उपलब्ध धनराशि दो किस्तों में स्वीकृत की जाएगी।
- बजट सीमा से अधिक का प्रस्ताव करने वाले प्रस्तावों को बिना समीक्षा के वापस कर दिया जाएगा और उन्हें समीक्षा प्रक्रिया से स्वतः ही बाहर कर दिया जाएगा।
- निम्नलिखित को सहयोग प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी:
 - **वेतन:** परियोजना कर्मियों/परियोजना सहयोगियों/शोध फेलोशिप/ इंटरनेशिप के लिए वेतन। पीआई या सह-पीआई का वेतन/मानदेय समर्थित नहीं हैं।
 - **आपूर्तियां:** इसमें 10,000 रु. से कम के वैयक्तिक वस्तु मूल्य वाले उपकरण शामिल हैं, अर्थात् 1000 रु. प्रत्येक के मूल्य पर दस तापमान सेंसरों या रासायनिक बोतलों पर अभी भी आपूर्ति के रूप में विचार किया जाता है। नमूनों के विश्लेषण के लिए किसी भी सेवा प्रभार को इस बजट शीर्ष में शामिल किया जा सकता है।
 - **उपकरण/सुविधाएं:** कोई भी गैर-उपभोज्य मद को, जिसका एकल वस्तु मूल्य 10,000 रु. या उससे अधिक हो, उपकरण माना जाता है। कृपया ध्यान दें कि इस परियोजना में नई सुविधाओं (ईट और मोटार) के निर्माण की अनुमति नहीं है। इस बजट शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों जैसे पुस्तकों का अधिग्रहण स्वीकार्य है। कंप्यूटर/लैपटॉप/प्रिंटर की खरीद परियोजना के दौरान अधिकतम 1.5

लाख रुपये तक की जा सकती है। इस परियोजना में खरीदे गए कंप्यूटर/लैपटॉप/प्रिंटर/अन्य उपकरण आईकेएस परियोजना के अंत में पीआई के संगठन की संपत्ति बन जाएंगे।

- **शिक्षा/परामर्श/संपर्क:** शिक्षा, परामर्श और संपर्क योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किसी भी प्रकार के वित्त-पोषण की अनुमति है। संपर्क क्रियाकलाप विशेष रूप से आईकेएस केंद्रित होने चाहिए और इनके द्वारा संबंधित आईकेएस केंद्रों के मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **यात्रा और सम्मेलन :** इस अनुदान में घरेलू सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा और उससे संबंधित व्यय या भारत के भीतर परियोजना संबंधी यात्रा/आवास पर किए गए किसी भी व्यय की अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं है। पीआई द्वारा वार्षिक आईकेएस संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लेने की योजना बनाई जानी चाहिए।
- **आकस्मिकताएं:** अधिकतम अनुमेय आकस्मिकताएं कुल बजट का 5% हैं।
- **उपरिव्यय:** अधिकतम अनुमेय उपरिव्यय कुल बजट का 5% है।
- **समतुल्य अनुदान:** जबकि यह अनिवार्य नहीं है, आईकेएस प्रभाग के अल्प संसाधनों का लाभ उठाने के लिए समतुल्य अनुदान या किसी अन्य वित्तीय या वस्तु के सहयोग के माध्यम से संस्थागत सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। कृपया इस परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से मौद्रिक और वस्तु के रूप में प्राप्त हो सकने वाले सहयोग को दर्शाएं।

समीक्षा प्रक्रिया

1. हम एक मुक्त तीन चरणीय सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया का पालन करेंगे (चित्र 2)।
2. समीक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोटिकरण मानदंड अगले भाग में दिए गए हैं।
3. सभी प्रस्तावों की समीक्षा अनेक स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी।
4. अंतिम चयन के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा।
5. चरण-III में पीआई अपने प्रस्ताव के लिए औसत अंक और समीक्षक टिप्पणियां प्राप्त करेंगे। चयनित प्रस्तावों को प्राप्त न्यूनतम कटऑफ अंकों को भी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के हित में साझा किया जाएगा।
6. आईकेएस प्रभाग प्रस्तावों के चयन के संबंध में समीक्षा पैनल के निर्णयों से बाध्यकर होगा।



चित्र 1. तीन-चरणीय समीक्षा प्रक्रिया अवलोकन

प्रस्ताव मूल्यांकन मानदण्ड

आपके प्रस्ताव के समीक्षकों द्वारा निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग आपके प्रस्ताव का अन्यो की तुलना में मूल्यांकन करने और उसका कोटिकरण करने के लिए किया जाएगा। कृपया इन प्रश्नों के बारे में ध्यान से सोचें और निर्दिष्ट प्रस्ताव संरचना का उपयोग करके अपने प्रस्ताव में उनका स्पष्ट उत्तर दें।

- क्या इस आईकेएस केंद्र का मिशन ऐसे विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो आईकेएस प्रभाग के मिशन और ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों से **प्रासंगिक** हैं? (20 अंक)
- क्या आईकेएस केंद्र की योजनाएँ और लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और **समझने योग्य** हैं? (10 अंक)
- क्या प्रस्तावित केंद्र के पास शोध करने के लिए एक **स्पष्ट शोध योजना** है जो किसी **महत्वपूर्ण** समस्या या भावी समस्या को हल करती है? (10 अंक)
- क्या इस अध्ययन के परिणाम **उपयोगी** होंगे? क्या वे **बदलाव ला सकते** हैं? (15 अंक)
- क्या प्रस्तावित केंद्र के पास एक **स्पष्ट शिक्षा योजना** है? (10 अंक)
- क्या प्रस्तावित केंद्र में छात्रों और युवा संकाय के लिए **स्पष्ट परामर्श योजना** है? (10 अंक)
- क्या इसके परिणाम उपयुक्त लोगों को **सूचित** किए जाएंगे? (5 अंक)
- क्या प्रस्तावित **बजट परियोजना में किए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त** प्रतीत होता है? (5 अंक)
- क्या पीआई और दल के पास प्रस्तावित विषय में प्रस्तावित शोध करने के लिए आवश्यक **सक्षमता, पूर्व अनुभव और विशेषज्ञता** है? (15 अंक)

प्रस्ताव की मजबूती (100 शब्दों तक): कृपया प्रस्ताव की निर्दिष्ट मजबूतियों को सूचीबद्ध करें।

प्रस्ताव की कमजोरी (100 शब्दों तक): कृपया प्रस्ताव की निर्दिष्ट कमजोरियों, यदि कोई हैं, को सूचीबद्ध करें।

कमजोरियों के बावजूद क्या आपको लगता है कि ऐसे कुछ विशिष्ट कारण हैं जिनके फलस्वरूप अभी भी परियोजना को समर्थन देने के लिए विचार किया जा सकता है?

सारांश विवरण (100 शब्दों तक): कृपया यह दर्शाएं कि क्या इस प्रस्ताव को सहयोग दिया जाना चाहिए अथवा नहीं।

प्रस्ताव निर्मिति पर और मार्गदर्शन

प्रस्ताव निर्मित करते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु:

1. आईकेएस का प्रभार **भारतीय ज्ञान प्रणालियों में अनुसंधान** को सहयोग प्रदान करना है जो आईकेएस को आगे बढ़ाने में सार्थक योगदान देगा। यह देखने के लिए कृपया तालिका 1 का अवलोकन करें कि आईकेएस परियोजना के लिए अर्हता क्या है।
2. एक अच्छा प्रस्ताव इस बात पर बल प्रदान करेगा कि प्रस्तावित शोध का आशय निकट भविष्य में (अनुप्रयुक्त) या भविष्य में (आधारभूत) विकास करने के माध्यम से आईकेएस के मिशन में किस प्रकार योगदान करना है। केवल जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अथवा किसी संदर्भित पत्र के लिए आंकड़े संकलित करना किसी भी रूप में आईकेएस प्रभाग के हित में नहीं होगा और समीक्षकों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. **परियोजनाएं हर हाल में आईकेएस विषयों से ही संबंधित होनी चाहिए।** जो परियोजनाएं इस आग्रह की व्याप्ति में नहीं आती हैं, उन्हें इस संबंध में आगे किसी भी पत्र-व्यवहार के बिना चरण-1 समीक्षा (आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया) में खारिज कर दिया जाएगा। परियोजनाओं की ऐसी स्पष्ट व्याप्ति होनी चाहिए जिसे दो वर्ष में पूरा किया जा सके। परियोजनाओं में स्पष्ट परिमाणात्मक प्रदेयता होनी चाहिए। सभी परियोजनाओं के लिए एक व्यापक रिपोर्ट लिखना अपेक्षित है। उन परियोजनाओं के लिए जिनमें प्रदर्शन कलाएं शामिल हैं, एक व्यापक मल्टीमीडिया प्रलेखीकरण की अपेक्षा की जाती है।

तालिका 1. ऐसे उदाहरण कि आईकेएस परियोजना के लिए क्या अर्हक है/क्या अर्हक नहीं है

यह आईकेएस परियोजना है	यह आईकेएस परियोजना नहीं है
पुराने पुलों/किलों/मंदिरों में प्रयुक्त गारा संरचना का अध्ययन।	किसी स्थान पर पुलों और पोतों का अध्ययन।
समुदायों द्वारा प्रचलित जल शोधन पद्धतियों का प्रलेखीकरण और मूल्यांकन।	किसी नदी में प्लास्टिक प्रदूषण का अनुवीक्षण।
वर्तमान सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रासंगिक चाणक्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता और प्रयोज्यता का अध्ययन।	एडम स्मिथ अथवा एमएमटी की अर्थशास्त्र सिद्धांतों का अध्ययन।
धोलावीरा और लोथल में बंदरगाह निर्माण का अध्ययन और उन बंदरगाहों की क्षमता का आकलन।	किसी बंदरगाह में पोतों का अध्ययन।

छात्रों की संज्ञानात्मक योग्यताओं पर संस्कृत शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन।	यह देखने के लिए विद्यालयों में जाना कि संस्कृत शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है।
वर्तमान सामाजिक संदर्भ के लिए किसी पुराण में शब्दों के प्रासंगिक और व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ (उदाहरण के लिए धर्म, न्याय, पाप, पुण्य) की पहचान करना।	किसी पुराण में शब्दों (उदाहरण के लिए धर्म, न्याय, पाप, पुण्य) के आने का वर्णन करना।

4. सभी आईकेएस केंद्र प्रस्तावों में न्यूनतम दो और अधिकतम चार विषयगत क्षेत्रों का चयन किया जाना होगा।
5. स्पष्ट संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है: ऐसे प्रस्तावों को उच्च अंक प्रदान किए जाएंगे जो शोध के योगदान को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हों।
6. क्योंकि शोध के परिणामों को संभावित उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है, ऐसे क्रियाकलापों की लागत पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए धन का अनुरोध करने की अनुमति है।
7. हम सुविधाओं (ईंट और गारा) के अधिग्रहण या निर्माण के लिए वित्त-पोषण नहीं करते हैं। प्रस्तावित शोध करने के लिए आवश्यक उपकरणों का अनुरोध करने की अनुमति है। प्रस्ताव में आपकी आवश्यकता का वर्णन होना चाहिए और यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि इस विशिष्ट शोध में उपकरण का उपयोग कैसे किया जाएगा। आपकी प्रयोगशाला को बेहतर ढंग से सुसज्जित करने या अन्य किसी कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्त-पोषण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
8. ऐसा हो सकता है कि आपके समीक्षक ऐसे विद्वान हो जिन्हें आपके क्षेत्र-विशेष के विवरण की केवल न्यूनतम जानकारी हो। कृपया अपने औचित्य, उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और प्रभावों को इस तरह लिखें कि वह व्यक्ति भी आपके तर्कों को समझ सके जो आपके क्षेत्र में सीमित पृष्ठभूमि रखता हो। ऐसे प्रस्ताव को, जिसे समीक्षक आसानी से नहीं समझ सकते हैं, खराब कोटिकरण प्रदान किए जाने और उसके वित्त-पोषित न होने की संभावना रहती है।
9. जबकि आपके लिए अपना आईकेएस प्रस्ताव तैयार करते समय किसी अन्य प्रस्ताव से सामग्री को लेकर वहां रखना आसान हो सकता है, यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने ऐसा किया है, तो आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। यहां तक कि अगर आप कहीं से वाक्यांश या विचार भी उद्धृत करते हैं (जिसे कट और पेस्ट नहीं कहा जाता है), तो यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने प्रस्ताव को भली-भांति पढ़ लिया है जिससे कि उसमें किसी भी पूर्व तारीख, समय-सारिणी या संदर्भों को हटाया जा सके जो कट और पेस्ट के संदर्भ के रूप में काम कर सकते हैं।

10. भविष्य के वित्त-पोषण का पूर्वानुमान करना मुश्किल है, लेकिन हमें यह बताएं कि आपके शोध के परिणाम भविष्य में अन्य स्रोतों से वित्त-पोषण प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं।
11. कृपया ध्यान रखें कि इस शोध को वित्त-पोषित करने के लिए धन सीमित है। हम धन की उपलब्धता के आधार पर वित्त-पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या पर निर्णय लेंगे।
12. कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपने पाठ में अपने सभी संदर्भों का उल्लेख करते हैं। "निर्रथक" संदर्भों को हटाना सुनिश्चित करें - ऐसा उद्धरण जिसे पाठ में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन संदर्भ खंड में नहीं। पाठक संपादन उद्देश्यों के लिए पाठ में सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी के वेब लिंकों को शामिल किया जा सकता है। सभी प्रस्तावों में संदर्भों में कम-से-कम एक प्राथमिक पाठ शामिल होना चाहिए। कृपया जर्नल लेखों के वेब लिंक का उपयोग न करें।
13. यदि आप किसी परियोजना को पूरा करने के लिए अन्य वित्त-पोषण स्रोतों के साथ आईकेएस परियोजना निधि का भी उपयोग करने का आशय रखते हैं, तो अपने बजट पृष्ठ पर अन्य वित्त-पोषण स्रोत (स्रोतों) और राशि (राशियों) का पूरी तरह से वर्णन करना सुनिश्चित करें। समीक्षक इस बात को जानने में दिलचस्पी लेते हैं कि वित्त-पोषण के प्रयोग की संभावनाएं क्या हैं।

अभातशिप स्थित शिक्षा मंत्रालय का भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग
भारतीय ज्ञान संपोषण केन्द्रम्-1

2022 आईकेएस संपोषिणी प्रस्ताव आवरण पृष्ठ (पृष्ठ सीमा में शामिल नहीं किया गया)

प्रस्ताव का शीर्षक::

प्रमुख शोधकर्ता (प्रधान अन्वेषक):

नाम:

ई-मेल पता:

दूरभाष नम्बर:

शैक्षणिक रैंक:

नियुक्ति का प्रकार:

भौतिक कार्य अवस्थिति:

शैक्षणिक मूल विभाग:

सह-पीआई (यदि कोई हैं):

सहयोगी/सहयोगकर्ता (यदि कोई हैं):

परियोजना बजट राशि:

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं परियोजना का नेतृत्व करूंगा और प्रस्ताव में रेखांकित सभी कार्यों को पूरा करूंगा। मैं प्रमाणित करता हूँ कि परियोजना के अंत में एक पूरी पूर्ण परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इस कार्य के परिणामस्वरूप किए जाने वाले किसी भी प्रकाशन में अभातशिप स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग से प्राप्त धन सहायता का उल्लेख किया जाएगा।

प्रधान अन्वेषक

दिनांक

प्रधान अन्वेषक का मुद्रित नाम:

2022-23 आईकेएस केंद्रम प्रस्ताव निकाय (दस-पृष्ठ की सीमा, उन प्रस्तावों को समीक्षा के बिना लौटा दिया जाएगा जो वैयक्तिक खंड के लिए शब्द-सीमा से अधिक के होंगे)

परियोजना का विहंगावलोकन (250 शब्द): परियोजना किस बारे में है? यहां परियोजना के विचार का वर्णन करें। इस आईकेएस केंद्र के लिए ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र क्या हैं?

आईकेएस मिशन में योगदान (250 शब्द): यह परियोजना आईकेएस डिवीजन के मिशन में किस प्रकार योगदान करती है?

औचित्य (500 शब्द): कृपया परियोजना और उसके महत्व के लिए औचित्य प्रदान करें।

उद्देश्य और समय-सीमाएं (250 शब्द): कृपया इस आईकेएस केंद्र के विशिष्ट उद्देश्यों की एक स्पष्ट सूची प्रदान करें। इस याचना के लिए दो-चार उद्देश्य युक्तिसंगत हैं। स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाएगा।

परियोजना बौद्धिक योग्यता (250 शब्द): इस परियोजना की बौद्धिक योग्यता क्या है? कृपया परियोजना के वैज्ञानिक प्रभाव को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें। प्रस्तावित शोध के अधीन कौन से वैज्ञानिक प्रश्न हल किए जाएंगे?

परियोजना के व्यापक प्रभाव (250 शब्द): व्यापक प्रभाव (सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय) क्या हैं? यह केंद्र आईकेएस को लोकप्रिय बनाने में किस प्रकार योगदान देगा?

प्रस्ताव के उत्पाद और परिणाम (250 शब्द): परियोजना के उत्पाद और परिणाम क्या हैं? कृपया विशिष्ट उत्पादों और परिणामों की एक सूची तैयार करें। उत्पादों/परिणामों का वर्णन करने के लिए पैराग्राफों का प्रयोग न करें।

प्रक्रियाएं (1000 शब्द): कृपया इस परियोजना में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सारांश प्रदान करें। प्रक्रियाओं का एक संक्षिप्त सारांश साहित्य के पर्याप्त संदर्भों के साथ अपेक्षित है।

शिक्षा योजना (250 शब्द): आप आईकेएस क्षेत्र के बारे में छात्रों को शिक्षित करने की योजना कैसे बनाते हैं? इस आईकेएस केंद्र के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए विशिष्ट योजनाएं क्या हैं? कृपया प्रस्तावित क्रियाकलापों के बारे में ही जानकारी दें।

परामर्श योजना (500 शब्द): आईकेएस डिवीजन के लिए अगली पीढ़ी के विद्वानों को परामर्श प्रदान करना उच्च प्राथमिकता है। उन परियोजना सहयोगियों, छात्रों और इंटरन के लिए आपकी क्या परामर्श योजनाएँ हैं, जो इस केंद्र से जुड़े होंगे? कृपया प्रस्तावित क्रियाकलापों के बारे में ही जानकारी दें।

संप्रेषण प्रचार-प्रसार योजना (250 शब्द): आप अपने केंद्र से उत्पन्न परिणामों को विद्यालय/उच्च विद्यालय/स्नातक छात्रों तक प्रचारित-प्रसारित करने की योजना कैसे बनाते हैं? आम जनता तक पहुंचने की आपकी क्या योजना है? आप आम जनता के मध्य आईकेएस को कैसे बढ़ावा देंगे? कृपया प्रस्तावित क्रियाकलापों के बारे में ही जानकारी दें।

परियोजना दल की विशेषज्ञता (250 शब्द): कृपया हमें प्रस्तावित विषय में पीआई और सह-पीआई के पूर्व अनुभव के बारे में बताएं। प्रस्ताव में उल्लिखित शोध कार्य करने के लिए दल के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? प्रस्ताव के प्रत्येक घटक को निष्पादित करने के लिए प्रारंभिक परिणामों के संदर्भ में प्रत्येक जांचकर्ता के पास मौजूद विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

सह-पीआई और सहायताकर्ता/सहयोगी की विशिष्ट भूमिकाएं, यदि आवरण पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं (250 शब्द): दल के सदस्यों की विशिष्ट भूमिकाएँ क्या हैं? दल में सभी सदस्यों का पर्याप्त योगदान शामिल होना चाहिए। यदि प्रस्ताव में एक से अधिक अन्वेषक शामिल हैं, तो प्रस्ताव के उद्देश्यों को लागू करने में प्रत्येक अन्वेषक की भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।

समय-सीमाएं (100 शब्द): परियोजना कार्यों के लिए समय-सीमा और क्रियाकलापों के कार्यक्रम के लिए बार आरेख के माध्यम से उपलब्धियां दर्शाते हुए समय-सीमाओं का संकेत दें।

उद्धृत संदर्भ (पृष्ठ सीमा में शामिल नहीं किया गया है):

- **प्राथमिक संदर्भ:** खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। कम-से-कम एक प्राथमिक पाठ शामिल होना चाहिए। प्राथमिक संदर्भ प्रस्तावित शोध से संबंधित मौलिक पाठ हैं। ये आमतौर पर संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं में होते हैं। दल में कम-से-कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिना किसी सहायता या किसी अनुवाद के प्राथमिक पाठ पढ़ सके।
- **अनुदित प्राथमिक पाठ और माध्यमिक संदर्भ:** ये प्राथमिक पाठों के अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद से संबंधित हैं। माध्यमिक संदर्भ प्राथमिक पाठों के लिए पाठों/लेखों को संदर्भित करते हैं जैसे टीकाएं।
- **अन्य संदर्भ:** अन्य सभी प्रासंगिक संदर्भ यहां शामिल किए गए हैं।

2022-23 आईकेएस केंद्रम बजट (पृष्ठ सीमा में शामिल नहीं किया गया है - कृपया सभी अंकों को निकटतम सौ रुपये तक पूर्णांकित करें)

टिप्पणी: कृपया प्रति परियोजना 40 लाख रुपये की सीमा से अधिक न जाएं। बजट सीमा से अधिक का प्रस्ताव करने वाले प्रस्तावों को बिना समीक्षा के वापस कर दिया जाएगा और समीक्षा प्रक्रिया से स्वतः बाहर कर दिया जाएगा।

वेतन: परियोजना के शोध फेलो/इंटरन के लिए वेतन शामिल है। पीआई या सह-पीआई का वेतन/मानदेय समर्थित नहीं हैं।

आपूर्तियां: इसमें 10,000 रु. से कम के एकल वस्तु मूल्य वाले उपकरण शामिल हैं, अर्थात् 1000 रु. प्रत्येक के मूल्य पर दस तापमान संवेदक या रासायनिक बोतलें भी आपूर्ति के अंतर्गत विचार की जाती हैं। नमूनों के विश्लेषण के लिए कोई भी सेवा प्रभार भी इसके अंतर्गत होगा।

उपकरण/सुविधाएं: कोई भी गैर-उपभोज्य मद को, जिसका एकल वस्तु मूल्य 10,000 रु. या उससे अधिक हो, उपकरण माना जाता है। कृपया ध्यान दें कि इस परियोजना में नई सुविधाओं (ईट और मोटार) के निर्माण की अनुमति नहीं है। इस बजट शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों जैसे पुस्तकों का अधिग्रहण स्वीकार्य है। कंप्यूटर/लैपटॉप/प्रिंटर की खरीद परियोजना के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की जा सकती है। इस परियोजना में खरीदे गए कंप्यूटर/लैपटॉप/प्रिंटर/अन्य उपकरण आईकेएस परियोजना के अंत में पीआई के संगठन की संपत्ति बन जाएंगे।

शिक्षा/परामर्श/संपर्क: शिक्षा, परामर्श और संपर्क योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किसी भी प्रकार के वित्त-पोषण की अनुमति है। संपर्क क्रियाकलाप विशेष रूप से आईकेएस केंद्रित होने चाहिए और इनके द्वारा संबंधित आईकेएस केंद्रों के मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यात्रा और सम्मेलन : इस अनुदान में घरेलू सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा और उससे संबंधित व्यय या भारत के भीतर परियोजना संबंधी यात्रा/आवास पर किए गए किसी भी व्यय की अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं है। पीआई द्वारा वार्षिक आईकेएस संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लेने की योजना बनाई जानी चाहिए।

आकस्मिकताएं: अधिकतम अनुमेय आकस्मिकताएं कुल बजट का 5% हैं।

उपरिव्यय: अधिकतम अनुमेय उपरिव्यय कुल बजट का 5% है।

कुल:

अन्य वित्त-पोषण स्रोत (यदि कोई हैं) : इस कार्य के लिए प्रयोग में लाए जा सकने वाले किन्हीं अन्य वित्त-पोषण स्रोतों को सूचीबद्ध करें। इन स्रोतों से उपलब्ध वित्त-पोषण की राशि को सूचीबद्ध करें। कृपया इस परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से मौद्रिक और वस्तु के रूप में प्राप्त हो सकने वाले सहयोग को दर्शाएं।

जीवन-वृत्त प्रपत्र (प्रत्येक अन्वेषक के लिए दो पृष्ठों से अधिक न हो। जीवन-वृत्त को पृष्ठ सीमा में शामिल नहीं किया गया है)

1. नाम:
2. पत्राचार का पता:
3. ई-मेल:
4. संपर्क नम्बर:
5. संस्था:
6. शैक्षणिक योग्यता:
7. कार्य अनुभव (कालक्रमानुसार)
8. वृत्तिक मान्यता/पुरस्कार/इनाम/प्रमाण-पत्र (यदि कोई हों):
9. सहकर्मि समीक्षित प्रकाशन:
10. पेटेंट के विवरण (यदि कोई हों):

11. पुस्तकें/रिपोर्टें/अध्याय/सामान्य लेख आदि:
12. पिछले 5 वर्षों के दौरान चल रही/पूर्ण परियोजनाएं:
13. इस परियोजना को संचालित करने के लिए आपकी सक्षमता (अधिकतम 500 शब्द):
14. कोई अन्य जानकारी (अधिकतम 500 शब्द):

अन्वेषक की ओर से प्रमाण-पत्र

(पृष्ठ सीमा में शामिल नहीं किया गया है)

परियोजना का शीर्षक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. इसी परियोजना प्रस्ताव को वित्तीय सहायता के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं वचन देता हूँ कि परियोजना में खरीदे गए उपकरणों को खाली समय के दौरान अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. मैं सहमत हूँ कि यदि परियोजना में क्षेत्रीय परीक्षण/प्रयोग/नमूनों, मानव और पशु सामग्री का आदान-प्रदान, आदि शामिल होता है, तो मैं संबंधित नयाचार समिति से नयाचार मंजूरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करूंगा।
4. योजना/परियोजना में प्रस्तावित शोध कार्य किसी भी तरह से इस विषय पर पहले से किए गए या अन्यत्र किए जा रहे कार्य की नकल नहीं है।
5. मैं अभातशिप, नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

पीआई के हस्ताक्षर

पीआई का नाम

पीआई की संबद्धता

दिनांक:

स्थान:

संस्था प्रमुख की ओर से पृष्ठांकन

(पृष्ठ सीमा में शामिल नहीं किया गया है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान _____ शीर्षक की परियोजना के लिए प्रधान अन्वेषक के रूप में _____ और सह-अन्वेषक के रूप में _____ की भागीदारी का स्वागत करता है, और यह कि प्रधान अन्वेषक द्वारा इसे बंद किए जाने की अप्रत्याशित स्थिति में, प्रधान सह-अन्वेषक परियोजना की लाभप्रद समाप्ति का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी ग्रहण करेगा और इसकी सम्यक सूचना। अभातशिप, नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग को भी दी जाएगी।
2. परियोजना की तारीख उस तारीख से आरंभ होती है जिस दिन संस्थान को अभातशिप, नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग से अनुदान प्राप्त होता है।
3. अन्वेषक संस्थान के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा और परियोजना की अवधि के दौरान संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।
4. अभातशिप, नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग द्वारा सहायतानुदान का उपयोग परियोजना के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा और यह उपयोग उसी अवधि में किया जाएगा जिसके लिए परियोजना को संस्वीकृति दी गई है, जैसा कि संस्वीकृति आदेश में उल्लिखित है।
5. परियोजना के अंत में अभातशिप, नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग के ऊपर कोई प्रशासनिक या अन्य दायित्व अधिरोपित नहीं किया जाएगा।
6. संस्थान अनुसंधान परियोजना को आरंभ करने के लिए अन्वेषक को बुनियादी अवसंरचना और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
7. संस्थान उपरोक्त परियोजना में सृजित सभी आस्तियों को अपनी बहियों में दर्ज करेगा और उनका निपटान अभातशिप, नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग के विवेक पर किया जाएगा।
8. संस्थान परियोजना के वित्तीय और अन्य प्रबंधन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की स्वीकरोक्ति प्रदान करता है।

संस्था प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर

दिनांक :